प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूर - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALORE - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक A Premier Public Sector Bank
निवेशक सेवा विभाग
INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ संRef.No.निसेविISD:244 :2014-15

17th जुलाई July 2014

To, **The Bombay Stock Exchange Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001 Fax No. 022-22722037 / 22723121 **Ref: Code No.532179**	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051 Fax No. 022-26598237 / 26598238 **Symbol: CORPBANK**

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

We are forwarding herewith "Notice for the ensuing Extraordinary General Meeting" taking place on the 25th August, 2014, requesting you to upload the same on the website for the information of the Shareholders.

Yours faithfully,

(S.K. Dash)
Company Secretary

Encl: as above

तार / Grams : CIBICI, फैक्स / Fax : 0824-2444617/2425233
टेलेक्स Telex : 0832 - 321 CBHO IN 0832 - 228 BANK IN
E-mail : query@corpbank.co.in

✆ : 2426416 - 2426420, 2427911 - 2427913, 2421575, 2421685, 2444990 to 2444993 (PBX 14 Lines) 2425233

कृपया हमसे संपर्क करें Do visit us at **www.corpbank.com**

असाधारण महासभा की सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

25 अगस्त 2014, मंगलूर

25TH AUGUST 2014, MANGALORE

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूर - 575 001

Corporation Bank
Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangalore – 575 001

विषय सूची
CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचना एवं नोट	3
NOTICE & NOTES	4
व्याख्यात्मक विवरण	19
EXPLANATORY STATEMENT	20
प्रॉक्सी फार्म	39
PROXY FORM	40

महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रमुख तारीखें
IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

चुनाव में भाग लेने और सूचना की मद सं. 2 के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की **कट–ऑफ तारीख** **Cut-off Date** for ascertaining the Shareholders entitled to participate in the Election and or for item No. 2 of the Notice.	मंगलवार, 29 जुलाई, 2014 Tuesday, 29th July, 2014
नामांकन फार्म और व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख Last date for submission of Nomination Forms and 'Personal Information, Declaration and Undertaking' on or before	अपराह्न 2.00 बजे, शनिवार, 9 अगस्त, 2014 2.00 p.m., Saturday, 9th August, 2014
नामांकन फार्मों की जांच Scrutiny of Nominations	सोमवार, 11 अगस्त, 2014 Monday, 11th August, 2014
प्रॉक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख व समय Last date & time of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives	अपराह्न 5.00 बजे, बुधवार, 20 अगस्त, 2014 5.00 p.m., Wednesday, 20th August, 2014
असाधारण महासभा की तारीख एवं समय Date and time of Extraordinary General Meeting	सोमवार, 25 अगस्त, 2014, पूर्वाह्न 10.00 बजे Monday, 25th August, 2014, at 10.00 a.m.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूर – 575 001
दक्षिण कन्नड जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा **सोमवार,** 25 **अगस्त,** 2014 **पूर्वाह्न** 10.00 **बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर – 575 001, **कर्नाटक राज्य** में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद सं. 1:

केंद्र सरकार को छोड़कर बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक निर्वाचित करना, जिनके विधिमान्य नामांकन निम्नांकित संकल्प पारित करने के द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9(3)(i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके बाद 'योजना' कहा गया है) तथा कार्पो रेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके बाद 'विनियम' कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबी ओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और दिनांकित 1 नवंबर, 2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 (इसके बाद 'भारिबैंक अधिसूचना' कहा गया है) के अनुसार प्राप्त हुए हैं:

'**यह संकल्प लिया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के साथ यथापठित इसके अधीन बनाई गई संबद्ध योजना, विनियम तथा अधिसूचना और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निर्वाचित तीन निदेशकों को एतद्द्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे जिस तारीख को निर्वाचित हुए/निर्वाचित माने गए, उसके अगले दिन कार्यभार ग्रहण करें तथा ऐसे कार्यभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।'

मद सं. 2:

एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधनों सहित या उसके बिना पारित करना:

यह संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 3(2बी)(सी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 (योजना) के खण्ड 20, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नैशनल स्टाफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (उसमें किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित) के साथ किए गए ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 और 35सी(i) एवं अन्य संबंधित प्रावधानों तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 ("विनियम") के विनियम 4ए के अनुसार और समय-समय पर किए गए किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन(नों) या पुनर्धिनियमन सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 ("दिशानिर्देश") तथा जहाँ लागू हो भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, मंजूरी और सहमति के अधीन तथा किसी भी चरण में किसी भी प्राधिकारी के अनुमोदान(नों), अनुमति(यों) और मंजूरी(रियों) के अधीन तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदान, अनुमति और मंजूरी देते समय निर्धारित किसी शर्त (शर्तों) एवं आशोधन(नों), जो बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिसमें बोर्ड की समितियाँ भी शामिल माना जाएगा) द्वारा सहमत एवं स्वीकृत हों, के अधीन, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर, जिस अभिव्यक्ति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक भी शामिल होंगे ("कर्मचारी"), बोर्ड द्वारा निर्णय लिए अनुसार, प्रत्येक ₹10/- (रुपए दस मात्र) के 50,00,000 संख्या में ईक्विटी शेयर, जो किसी कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (इसके बाद "ईएसपीएस" कहा गया है) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार लाभांश की अदायगी सहित सभी प्रयोजनों के लिए और सभी दृष्टियों में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य

CORPORATION BANK

HEAD OFFICE: MANGALA DEVI TEMPLE ROAD, MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Monday, the **25th August, 2014 at 10.00 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, **Karnataka State** to transact the following business:

Item No. 1 :

To elect THREE directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act") read with The Banking Regulation Act, 1949, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and 47/29.39.001/2007-08 both dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made there under and Notification of Reserve Bank of India, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

Item No. 2 :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a special resolution:

"RESOLVED THAT, subject to provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,(the Scheme), Clause 23 and 35C(i) and other related provisions of the Listing Agreement for Equity entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("Regulations") and the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time (the "Guidelines"), and subject to the approval, consent and sanction of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include its committee of the Board), consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Chairman and Managing Directors and Executive Directors of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, up to 50,00,000 number of equity shares of ₹ 10/- (Rupees Ten

होंगे, ऐसी कीमत या कीमतों पर, तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक पर तय करे, एक या अधिक किस्तों में प्रदान करने, पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए एतद्द्वारा सहमति दी जाती है;

यह संकल्प लिया जाता है कि बैंक, किसी सांविधिक आशोधनो(नों), संशोधन(नों) या पुनर्धिनियमन सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 के खण्ड 19.2 (अर्थात् अनुसूची-II) में विनिर्दिष्टानुसार लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों एवं निबंधनों एवं अन्य दिशानिर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार, जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, वहाँ ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटित ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।

यह संकल्प लिया जाता है कि बैंक, बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर और कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड सहित उससे संबंधित आशोधन(नों) और ईएसपीएस को निलंबित करने, वापस लेने, समाप्त करने या इस प्रकार संशोधित करने जैसे कि बोर्ड अपने एकमात्र विवेक पर निर्धारित कर सकता है और उन सभी प्रश्नों, कठिनाइयों और संदेहों को शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन लेने की आवश्यकता के बगैर निपटाने जो ईएसपीएस के कार्यान्वयन और प्रस्तावित ईएसपीएस के अनुसरण में जारी शेयरों के संबंध में पैदा हो सकते हैं, इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से उसके लिए शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दिया ऐसा मान लिया जाएगा;

यह संकल्प लिया जाता है कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए बोर्ड को उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकारी को निदेशकों की किसी समिति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी(रियों) को जिसे बैंक उचित समझे, प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 07.07.2014

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्रवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करने वाले व्याख्यत्मक विवरण अनुबंधित हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, **20 अगस्त, 2014** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respect, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to "ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion;

RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Clause 19.2 (i.e. Schedule-II) of the Securities and Exchange Board of India (Employees Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the ESPS, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the listing agreement entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the ESPS on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the ESPS, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the ESPS in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the ESPS and to the shares to be issued pursuant to the proposed ESPS without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution;

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors, the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place: Mangalore
Date: 07.07.2014

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of **Wednesday 20th August, 2014.**

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् **बुधवार, 20 अगस्त, 2014** को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का., मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास

बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सुविधा हेतु पंजीकरण प्रक्रिया बैठक के स्थान पर 25 अगस्त, 2014 को पूर्वाह्न 8.30 बजे शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी पहले ही बैठक में उपस्थित हो जाएं।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास इस सूचना के साथ खुले पन्ने के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें **और तत्पश्चात् उन्हें प्रवेश पर्ची-सह-मतपत्र पास जारी किया जाएगा।** शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास में यथास्थिति ''प्रॉक्सी'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'', जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि यह नोट करें कि बैठक में प्रवेश यथावश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जाँच के अधीन है और उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने पास वैध पहचान प्रमाण अर्थात् मतदाता पहचान-पत्र/नियोजक पहचान-पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि ले आएं।

ऐसे मतपत्र पास को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए सौंपना होगा। प्रवेश-पत्र को बैठक संपन्न होने तक अपने पास रखना होगा।

5. तीन नए शेयरधारकों को निर्वाचित करने के लिए और ईएसपीएस के अनुमोदन हेतु मतदान में भाग लेने और वोट/ई-वोट करने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तारीख

जिन शेयरधारकों का नाम **मंगलवार, 29 जुलाई, 2014** को कारोबार समय की समाप्ति पर (इसके बाद ''कट-ऑफ तारीख'' कहा गया है) शेयरधारक रजिस्टर में/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची में हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्शाया है, वे चुनाव में भाग लेने, अर्थात् सूचना की मद सं. 1 में उल्लिखित अनुसार केन्द्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से तीन निदेशकों के चुनाव में नामांकन करने, लड़ने और वोट/ई-वोट करने तथा सूचना की मद सं. 2 के अनुसार ईएसपीएस के अनुमोदन के लिए वोट करने के लिए पात्र होंगे।

6. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो ''कट-ऑफ तारीख'' अर्थात् मंगलवार, 29 जुलाई, 2014 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, उसे मतदान के ज़रिए ई-वोटिंग/वोटिंग में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है, तो वोटिंग के संबंध में, पहले नामित व्यक्ति उसका एकमात्र धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं, तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001 Karnataka State, not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Wednesday 20th August, 2014**.

No person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of Corporation Bank.

4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from **8.30** a.m. on 25th August, 2014, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot paper pass is attached to this notice as loose leaf. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue **and thereafter Entry slip**-cum-Ballot paper pass **shall be issued to them**. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

The Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll. Entry Pass to be retained till the conclusion of the meeting.

5. CUT-OFF DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION & VOTE/E-VOTE TO ELECT THREE DIRECTORS AND FOR APPROVAL OF ESPS

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ as Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours i.e. **Tuesday the 29th July, 2014** (hereinafter referred to as the "Cut-Off Date") shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote/e-vote in the election of three directors from amongst Shareholders other than Central Government as mentioned in item no. 1 of the Notice and to vote for the approval of ESPS as per item no. 2 of the Notice.

6. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the "Cut-Off Date" i.e. Tuesday 29th July, 2014 shall have one vote for each share held by him in e-Voting/voting through poll.

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

8. मतदान प्रक्रिया

निदेशकों के निर्वाचन या अथवा ईएसपीएस के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु **मतदान हस्त प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा** बल्कि ई-वोटिंग/गुप्त मतदान के ज़रिए होगा।

8 क. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित खण्ड 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में एक वैकल्पिक मतदान विधि के रूप में ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकेंगे और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग सर्विसस, ई-वोटिंग प्लैटफार्म से कार्य संचालित किए जा सकते हैं। **कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है।**

ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

I क. **यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ईमेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):**

i) वोटिंग अवधि के दौरान अपने कंप्यूटर/अन्य इंटरनेट सुविधायुक्त गैजटों पर अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और 'https://evoting.karvy.com' में नैविगेट करें।

ii) ईमेल/या उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/डीपी क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र- आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: क) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें जैसे कि वे दर्शाए गए हैं।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की टोल फ्री सं. 18003454001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। आप पहले लॉगइन पर मोबाइल सं, ईमेल आईडी आदि जैसे संपर्क ब्यौरे अद्यतन कर सकते हैं। आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अपने विकल्प का गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि वे नए पासवर्ड को याद रखें। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म के ज़रिए ई-वोटिंग का विकल्प चुनती है।

vii) आपको नए ब्योरों अर्थात् नए पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और यदि आपने इससे पहले "https://evoting.karvy.com" को लॉग ऑन करके किसी बैंक/कंपनी के लिए पहले वोट डाले हों को अपने वर्तमान लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

x) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन 'FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुनें।

8. POLL PROCESS

The voting for election of director and or issue of Equity Shares under ESPS will not be on the basis of show of hands but shall be done by e-voting / Poll by means of a secret Ballot.

8 A. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with provisions of Clause 35 B read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting for its Members at the Extraordinary General Meeting (EGM), which will enable them to cast their votes electronically and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd., e-Voting platform. **Kindly note e-voting is optional**.

The instructions for e-Voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd., the authorized e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on other internet enabled gadgets during the voting period and navigate to 'https://evoting.karvy.com'

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the email/or on the Attendance Slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form: a) For NSDL : 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL : 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form: • EVEN. followed by Folio Number registered with the Bank
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email.
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. **18003454001** of e-voting platform provider-i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd., for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z). One lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You can also update contact details like Mobile No., email ID etc., on 1st login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. The shareholders are advised to remember the new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi) The new password can be used for voting on future e-Voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/ Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank or Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Pvt. Ltd., e-Voting platform.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) If you are holding shares in Demat form and had logged on to "https://evoting.karvy.com" and casted your vote earlier for any Bank/Company, then your exiting login ID and password are to be used.

x) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/ AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'

xi) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xii) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xiii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ईमेल के ज़रिए evoting@karvy.com को प्रति अंकित करते हुए evoting@eazylaws.com पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name.....EVEN" फार्मेट में हो। स्कैन प्रतियों को अभिरक्षक भी www.evoting.karvy.com पर अपलोड कर सकता है। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी या अपलोड की जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. **यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):**

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।

यूज़र आईडी पासवर्ड

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (i) से क्रमांक (xiii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से **टेलि. नं. 1800 345 4001 (टोल फ्री)** से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV भावी संसूचना(एं) भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

V ई-वोटिंग अवधि 18.08.2014 **को (पूर्वाह्न 10.00 बजे)** शुरू होगी और 20.08.2014 **को (अपराह्न 5.00 बजे)** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान दिनांक **29.07.2014** को (अर्थात् ''कट-ऑफ तारीख'') कागज़ी रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। तत्पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. द्वारा डिसेबल किया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को बाद में उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

VI शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार दिनांक **29.07.2014** को (अर्थात् कट-ऑफ तारीख) बैंक की ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में इस शर्त पर होगा कि केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। संयुक्त धारकों के मामले में लॉगइन आईडी/यूज़र आईडी शेयरों के प्रथम धारक को भेजी जाएगी। तदनुसार, प्रथम धारक को भेजी गई यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए किए गए मतदान को संयुक्त धारकों की ओर से किया गया मतदान माना जाएगा चूँकि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं के ज़रिए वोट डालने वाला शेयरधारक सभी संयुक्त धारकों की ओर से ऐसा करता है। प्रथम धारक का तात्पर्य उस शेयर धारक से है, जिसका नाम धारित शेयरों के सामने पहले पंजीकृत है। **केवल वोट डालने के लिए पात्र शेयरधारक ही ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डालने के लिए पात्र है। जिस व्यक्ति का कोई मताधिकार नहीं है, उसे यह सूचना मात्र जानकारी के लिए समझनी चाहिए।**

VII **श्री अंकुर कुमार (बार काउंसिल पंजीकरण सं. एमएएच/5718/2011, मेसर्स ईज़ी लॉस, एडवोकेट्स एवं लीगल कंसेलटेंट्स, मुंबई)** को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है।

VIII स्क्रूटिनाइज़र, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से अधिकतम तीन (3) कार्य दिवसों के अंदर कम-से-कम दो (2) ऐसे साक्षियों की उपस्थिति में जो बैंक में नियोजन में न हों, वोटों को अनब्लॉक करेंगे और पक्ष और विपक्ष में डाले वोटों पर स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

IX ई-वोटिंग परिणाम बैंक की असाधारण महासभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वार्षिक महासभा में उक्त संकल्प को पारित करने और एनएसई/बीएसई को संसूचित करने के दो (2) दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट https://evoting.karvy.com में प्रदर्शित किए जाएंगे।

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xiii) Institutional shareholders including Body Corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@eazylaws.com** with a copy marked to evoting@karvy.com, The file should be named in the format of "the body corporate Name ….EVEN….". Custodians can also upload the scanned copies at www.evoting.karvy.com. The scanned copies are to be sent as mentioned above by email or to be uploaded, before or immediately after casting the e-voting. However, in case the same do not reach Scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of e-voting, the e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of EGM [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/ Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the EGM:

USER ID PASSWORD

ii. Please follow all steps from Sl. No. (i) to Sl. No. (xiii) above, to cast vote.

II. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of http://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on **Tel. No. 1800 345 4001 (toll free).**

III. If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-Voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

IV. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

V. The e-Voting period commences on **18.08.2014 (10:00 a.m.)** and ends on **20.08.2014 (5:00 p.m.)**. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **29.07.2014** (i.e. Cut-off date) may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

VI. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on **29.07.2014** (i.e. Cut-off date). Subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of Joint holders, Login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote casted using the User ID and password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders, as the shareholder who casts the vote through the e-Voting services of Karvy Computershare Pvt. Ltd., is doing so on behalf of all the joint holders. First holder shall mean the holder of the shares, whose name is first registered against the shares held; **only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through e-Voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.**

VII. **Mr. Ankur Kumar, (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011, M/s. Ezy Laws, Advocates and Legal Consultants, Mumbai),** has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner.

VIII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three(3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two(2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Bank.

IX. The Results of the e-Voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www. **corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd., https://evoting.karvy.com within two (2) days of passing of the resolutions at the EGM of the Bank and communicated to the NSE/BSE .

8 ख. बैठक में मतदान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस आश्य की घोषणा करते ही तुरंत मतपत्र जारी करना शुरू किया जाएगा और अपराह्न 12.30 बजे तक जारी रहेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास को लौटाने पर तदर्थ गठित काउंटरों मतपत्र जारी किए जाएंगे। मतों की संख्या अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अनुसार समग्र सीमा के अधीन उनके द्वारा **29 जुलाई, 2014** को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारक अपनी पसंद के उम्मीदवार (अधिकतम 3 उम्मीदवार तक) के नाम के सामने या अथवा सूचना की मद सं. 2 के पक्ष या विपक्ष में (X) रबड़ मुहर लगाते हुए और मतदान पेटी (पेटियों) में उसे डालते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

उसके पश्चात् मतगणना शुरू की जाएगी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

9. शेयरधारक निदेशक के उम्मीदवार हेतु योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ

उम्मीदवार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्धारित योग्यताओं का अनुपालन किया जाएगा तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताएँ उसमें नहीं होंगी तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 65 तथा पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों को वह पूरा करेगा।

अ) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है तथा जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए इच्छुक है,

क) उसे निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो–

- कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य कोई मामला जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग) वह कृषकों, कारीगरों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

आ) अधिनियम की धारा 9 (3एए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनने को इच्छुक है, उसकी हैसियत 'उपयुक्त एवं उचित' होनी चाहिए।

इ) साथ ही, निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्टानुसार वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु अयोग्यताएँ

अ) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु निम्न कारणों से अयोग्य माना जाएगा:

क) यदि उसे किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा या प्रशमन किया हो; या

ख) यदि उसे अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस बाबत घोषणा की गई हो; या

ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी दण्ड न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो; या

घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (ख) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी सहयोगी बैंक के तहत अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) एवं (एफ) के अधीन प्रबंध निदेशक व उक्त बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद के सिवाय कोई लाभ अर्जक पद धारित करता है।

तथा

आ) यदि उसे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं एफ नं. 16/83/2013-बीओआई दिनांकित 03.09.2013 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित' नहीं पाया जाता है।

8 B. VOTING AT THE MEETING

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 12.30 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/Proxy holders/authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **29th July, 2014,** subject to overall cap in terms of Section 3 (2E) of the Act.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice (maximum upto 3 candidates) and or for or against item no. 2 of the Notice, in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman and Managing Director.

9. QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE FOR SHAREHOLDER DIRECTOR

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and detailed herein below:

(a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

 (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
 – agriculture and rural economy
 – banking
 – co-operation
 – economics
 – finance
 – law
 – small scale industry
 – any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

 (B) represents the interests of depositors; or

 (C) represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status'.

(c) Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

10. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

 a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

 b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

 c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

 d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with office memorandum reference No. F. No. 16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

11. निर्वाचन में प्रतिभागिता:

केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामित करने, भाग लेने तथा मत देने हेतु ऐसे शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम यथा 29 जुलाई, 2014 एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्य/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में हैं।

12. शेयरधारकों की सूची:

29 जुलाई, 2014 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की सूची कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का., मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को संबोधित अनुरोध पर नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 9 अगस्त, 2014 तक या उससे पहले कार्पोरेशन बैंक के पक्ष में मंगलूर में देय मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के भुगतान पर 1 अगस्त, 2014 से **9 अगस्त, 2014** तक विक्रय हेतु उपलब्ध होगी। तथापि, इच्छुक उम्मीदवार सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा अपनी लागत पर उनका उद्धरण प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **9 अगस्त, 2014 है।**

सदस्यों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग, मंगलूर में **1 अगस्त, 2014 से 9 अगस्त, 2014 तक** सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक (शनिवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक) सदस्यों के रजिस्टर के किसी भाग का उद्धरण प्रत्याशी द्वारा प्राप्त करने हेतु या प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग हेतु ₹5/- की दर से राशि के भुगतान पर संगत भाग के कंप्यूटर प्रिंटआउट के लिए बैंक से अनुरोध के उद्देश्य हेतु खुला रहेगा।

13. नामांकन:

i) नामांकनों की विधिमान्यता:

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 65 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 तथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन विधिमान्य होगा बशर्ते:

(क) वह कार्पोरेशन बैंक में **29 जुलाई, 2014** को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में न्यूनतम 100 शेयर धारित करता है और उसके बाद 25 अगस्त, 2014 तक और यदि निर्वाचित होने पर उसके पश्चात् भी कम-से-कम 100 शेयर धारित रखता है।

(ख) वह नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 या कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 के अनुसार निदेशक बनने से अयोग्य न ठहराया गया है।

(ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में शेयर मांग की बकाया राशि नहीं है।

(घ) अधिनियम के तहत **निदेशकों को निर्वाचित करने हेतु पात्र कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों** द्वारा या उनके विधिवत् गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में नामांकन हो, बशर्ते कि ऐसे शेयरधारक द्वारा नामांकन जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो तथा इस प्रकार के मामले में, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रति कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य को प्रेषित की जाए तथा उस प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(ङ) इस सूचना में प्रस्तुत नामांकन तथा घोषणा के नमूना प्रपत्र के अनुसार, शेयरधारकों (न्यूनतम 100) के नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा इस आशय से विधिवत् हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा निर्वाचन में भाग लेने में इच्छुक है तथा यह कि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 या कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के तहत निदेशक बनने से अयोग्य नहीं हुआ है।

(च) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार हैं और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं (उक्त प्रोफोर्मा बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध है)। ई-मेल आईडी है isd@corpbank.co.in

11. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on 29th July, 2014, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

12. LIST OF SHAREHOLDERS

A list of shareholders of the Bank as on 29th July, 2014 will be available for sale on and from 1st August, 2014 till 9th August, 2014, on payment of ₹1,00,000/- by means of a demand draft in favour of "CORPORATION BANK" payable at Mangalore, along with a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **9th August, 2014.** However the intending candidates may also inspect the Register of Members and take extracts there from at their own cost. It may be noted that the last date for submission of nominations is **9th August, 2014.**

The Register of Members will be open for inspection by the shareholders, at the Investor Services Department of the Bank at Mangalore, on all working days commencing from **1st August, 2014 till 9th August, 2014** between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on Mondays through Fridays (and on Saturdays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m.) for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Members or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of ₹5/- for every 1000 words or part thereof.

13. NOMINATIONS

i) Validity of nominations

In terms of Regulation 65 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations,1998, and in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and Guidelines, Nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he is a shareholder holding, as on **29th July, 2014**, a minimum of 100 shares in Corporation Bank either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till 25th August, 2014 and thereafter if he was elected.

(b) as on the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified from being a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India, from being a director.

(c) there are no calls in arrears in respect of the shares held by him.

(d) the nomination is in writing signed by **at least one hundred shareholders entitled to elect Directors** under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

(e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations 1998 and they are as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice.

(f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Performa annexed (the Performa is also available on the Bank's Website: www.corpbank.com). The e-mail id is isd@corpbank.co.in.

ii) नामांकन फार्म की प्रस्तुति

निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार योग्य हैं वे नामांकन इस प्रकार प्रस्तुत करें

(क) विनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुसार और उपर्युक्त (घ)(ङ)(च) में उल्लिखित प्रकार उम्मीदवार से घोषणा सहित कम-से-कम 100 शेयरधारकों से सभी दृष्टियों से पूर्ण नामांकन संबद्ध सभी दस्तावेजों सहित अलग बंद लिफाफे में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को बैठक की तारीख से कम-से-कम 14 दिन पहले कार्य दिवस अर्थात् शनिवार, **9 अगस्त, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे** तक या उससे पहले प्राप्त हो।

(ख) उम्मीदवार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा के अनुसार वैयक्तिक सूचना, घोषणा तथा वचन-पत्र (पीडीयू फार्म) दिया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त एवं उचित हैसियत पर विचार किया जा सके तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण समस्त दस्तावेजों सहित अलग बंद लिफाफे में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य को नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक से पर्याप्त समय पूर्व अर्थात् बैठक की तारीख से कम-से-कम 14 दिन पहले किसी कार्य दिवस को अर्थात् शनिवार, **9 अगस्त, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक** या उससे पहले प्रेषित करना चाहिए ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं उचित हैसियत संबंधी निर्णय लिया जा सके।

iii) उम्मीदवारी वापस लेना:

उम्मीदवार नामांकन की संवीक्षा शुरू होने से पहले या 25.08.2014 के लिए निर्धारित चुनाव तारीख से दो दिन पहले पत्र या फैक्स के द्वारा अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

14. संवीक्षा तथा निदेशकों का निर्वाचन

क) बैंक द्वारा नामांकनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित तारीख के बाद पहले कार्य दिवस, **सोमवार, 11 अगस्त, 2014 को** नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी तथा कोई भी नामांकन अवैध पाए जाने पर, कारण रिकार्ड करते हुए उसे अस्वीकृत किया जाएगा।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'उपयुक्त एवं उचित' दिशानिर्देश दिनांकित 1 नवंबर, 2007 और 23 मई, 2011 के अनुसार बैंक की नामांकन समिति द्वारा वैयक्तिक सूचना, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फार्म) की समुचित सावधानी जांच की जाएगी।

(ग) यदि निर्वाचन से भरी जाने वाली रिक्तियों के निए केवल तीन विधिमान्य नामांकन हैं, तो नामित उम्मीदवारों को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा तथा उनके नाम और पते ऐसे निर्वाचित रूप में प्रकाशित किए जाऐंगे। ऐसे मामले में असाधारण महासभा की मद सं.1 बैठक में नहीं ली जाएगी।।

(घ) निर्वाचन होने की स्थिति में, यदि तीन से अधिक विधिमान्य नामांकन हैं, तो निर्वाचन में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाऐंगे।

15 क. वर्तमान शेयरधारक निदेशकों द्वारा कार्यमुक्त होना

वर्तमान तीन शेयरधारक निदेशकों का कार्यकाल 22 अगस्त, 2014 को कार्यसमय की समप्ति पर पूरा होता है, वे 22 अगस्त, 2014 को कार्यसमय की समप्ति पर कार्यमुक्त माने जाएंगे।

15 ख. निदेशकों की पदावधि

वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्यों ने **23 अगस्त, 2014** से कार्यभार ग्रहण किया माना जाएगा (यदि संवीक्षा पर केवल तीन वैध उम्मीदवार पाए जाते हैं। यदि संवीक्षा के बाद तीन से अधिक उम्मीदवार वैध पाए जाते हैं, तो तीन निदेशकों की रिक्ति बैठक की तारीख को ही भरी जाएगी और **26.08.2014** को नए निदेशक कार्यभार ग्रहण करेंगे।

योजना के खंड 9(4) के अनुसरण में, निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों हेतु पद धारित करेंगे तथा पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होंगे, बशर्ते यह कि कोई भी ऐसा निदेशक छह वर्षों से अधिक की अवधि हेतु लगातार पद धारित नहीं करेगा।

15 ग. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित तथा धारा 9(3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले निदेशक को हटाए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार संबंधी अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है।

15 घ. निर्वाचन संबंधी विवाद

इस संबंध में, विवाद, यदि कोई हो, का निपटान कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

ii) Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit -

(a) The nominations from minimum of 100 shareholders together with a declaration from the candidate as prescribed under the Regulations and as mentioned in (d) (e) (f) above are delivered in a separate sealed envelope to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before, **Saturday, 9th August, 2014 by 2.00 p.m.**

(b) a Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Performa provided by the Reserve Bank of India to consider fit and proper status, in a separate sealed envelope addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before Saturday, **9th August, 2014 by 2.00 p.m.** i.e. sufficiently before the last date of receipt of nomination to enable the Nomination Committee of the Board of Directors of the Bank to find out fit and proper status, as per the Reserve Bank of India Notification and as per detail mentioned in this Notice.

iii) Withdrawal of Candidature.

The candidate may withdraw his candidature by sending a letter or fax on or before the Scrutiny of Nominations commences or two days before the date of election scheduled on 25.08.2014.

14. SCRUTINY AND ELECTION OF DIRECTORS

(a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Monday the 11th August, 2014** the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

(b) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007 and 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India.

(c) If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event item No. 1 of the Extraordinary General Meeting shall not take place in the meeting.

(d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

15 A. PRESENT SHAREHOLDER DIRECTORS TO VACATE

The term of office of present three shareholders-directors expires at the end of office hours on 22nd August, 2014. They shall be deemed to vacate office at the end of office hours on 22nd August, 2014.

15 B. TENURE OF OFFICE OF DIRECTORS

Directors elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from **23rd August, 2014** (if only three valid candidates are found on scrutiny. If more than three candidates are found valid after scrutiny, then the vacancy for three Directors will be filled up on the date of the meeting and the new directors will assume office from **26.08.2014.**)

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election, provided, that no such Director shall hold office continuously for a period not exceeding six years.

15 C. REMOVAL OF A DIRECTOR

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the Right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

15 D. ELECTION DISPUTES

Disputes, if any, in this regard, will be settled as per Regulation 67 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

16. पते में परिवर्तन और ई–मेल, सेलफोन, टेलिफोन नंबर आदि को अद्यतन करना

कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो निम्नलिखित पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
यूनिटः कार्पोरेशन बैंक,
प्लॉट सं. 17–24, विट्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद – 500 081.
टेलिफोनः 044–44655115/44655117, फैक्सः 040–44655021
ई–मेलः einward.ris@karvy.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन करवाने के लिए अपने–अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

17. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में सूचना की प्रति लाएं।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं.1: निदेशकों का निर्वाचन

भारत सरकार को छोड़कर शेयरधारक बैंक की शेयर पूँजी का 36.67% धारित करते हैं। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करने हेतु कार्पोरेशन बैंक अधिकतम तीन निदेशक रखने हेतु पात्र है। वर्तमान तीन शेयरधारक निदेशक अर्थात्, 1. श्री सुशोभन सरकेर 2. श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और 3. श्री एस. शब्बीर पाशा 22.08.2014 तक निदेशक पद पर बने रहेंगे तथा 22.08.2014 को कार्यसमय की समाप्ति पर कार्यमुक्त होंगे। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशक निर्वाचित किए जाने चाहिए।

तद्नुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के निर्वाचन हेतु आवश्यक संकल्प पारित करने हेतु असाधारण महासभा संबंधी सूचना की कार्यसूची में एक मद शामिल की गई है।

अत: शेयरधारक (केंद्र सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना, जिनके संबद्ध भाग नीचे दिए गए हैं, में विस्तृत रूप से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र होंगे। तीन निदेशकों को या तो शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की संवीक्षा के पश्चात् (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर है) या यदि अधिक प्रत्याशी हैं तो 25 अगस्त, 2014 को चुनाव में निर्वाचित किया जाएगा। ऐसे चुनाव के बाद वे 23 अगस्त, 2014 या 26.08.2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान

अधिनियम/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	• साझे निदेशकों पर निषेध • अपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध • अनुरूपी नए बैंक को अधिनियम की कतिपय धाराएं लागू होना
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3एए), धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	• मताधिकार पर प्रतिबंध • शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या • कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान • कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अन्य ऐसे मानदंड के आधार पर उपयुक्त एवं उचित हैसियत का न हो। • ऐसे निर्वाचित निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, हटाने के लिए भा.रि.बैं. का अधिकार • विश्वस्तता एवं गोपनीयता के संबंध में दायित्व

16. CHANGE OF ADDRESS & UPDATING OF E-MAIL, CELLPHONE, TELEPHONE NUMBER ETC.

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,
Unit : Corporation Bank,
Plot No.17-24, Vittal Rao Nagar,
Madhapur, Hyderabad – 500 081
Tel: 044-44655115/44655117, Fax: 040-44655021.
e-mail: einward.ris@karvy.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to approach their respective depository participants for effecting the change in their address.

17. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 1: ELECTION OF THREE DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold 36.67% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, Corporation Bank is entitled to have a maximum of three shareholders representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) as Directors on the Board of the Bank. The present three Shareholder Directors namely 1. Shri Sushobhan Sarker 2. Shri Kawaljit Singh Oberoi and 3. Shri S. Shabbeer Pasha, hold office of directorship till 22.08.2014 and they will vacate their offices at the end of office hours on 22.08.2014. As per the aforesaid Act, three directors are required to be elected by the shareholders other than Central Government, to fill up the aforesaid vacancies.

Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the EGM to pass necessary resolution for election of three directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/ Regulations/Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. Three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancies) or in subsequent election on 25th August, 2014, if there are more contestants. After such election, they will assume office from 23rd August, 2014 or from 26.08.2014 as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 51	• Prohibition of common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors • Applicability of certain sections of Act to a corresponding new bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	• निर्वाचित निदेशकों की पदावधि • बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएं • निदेशक का पदभार मुक्त होना • किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना • निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ति को भरना • कतिपय व्यवस्थाओं में जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं, उनमें उनकी हितबद्धता का प्रकटन
कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 61ए विनियम 61बी विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	• संयुक्त धारकों का अधिकारों का प्रयोग • महासभाओं में मतदान • मतदान में संवीक्षक • मतदान की विधि व उसके परिणाम • महासभाओं में निर्वाचित होनेवाले निदेशक • शेयरधारकों की सूची • निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकनों की संवीक्षा • निर्वाचन संबंधी विवाद • मताधिकारों का निर्धारण • विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान • प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम 1980 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
बैंक के निदेशक मंडल में अपने सरकार नामिती निदेशक के ज़रिए परामर्श के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. फा. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 03.09.2013		**सर्वोच्च पारदर्शिता एवं जनहित में बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना, उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' हैसियत का निर्धारण करते समय अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखना।**

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, (इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके पश्चात् 'योजना' कहा गया है), कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके पश्चात् 'विनियम' कहा गया है) तथा अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01 नवंबर, 2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 और **कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. फा. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांकित 03.09.2013** से संबद्ध उद्धरण बैंक की वेबसाइट www. corpbank.com में दिया जाएगा। नामांकन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 09.08.2014 को या उससे पहले कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवार को ये उद्धरण डाक से भेजे जाएंगे।

निदेशकों की हितबद्धता

बैंक का कोई भी निदेशक तथा चुनाव लड़ने हेतु पत्र निदेशक व्यवसाय के उपरोक्त मदों में अपनी शेयरधारिता की सीमा से अधिक हितबद्ध या संबद्ध नहीं है।

मद सं. 2: व्याख्यात्मक विवरण

कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) का उद्देश्य

बैंक, बैंकिंग और उससे जुड़े क्रियाकलापों में लगा है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है। 31 मार्च, 2014 को बैंक का निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी ₹167.54 करोड़ है।

The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of vacancy in the office of elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 61A Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings Scrutineers at Poll • Manner of taking poll and result thereof • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) & Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks
Office Memorandum ref. No. F. No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India as an Advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank.		**To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, in this direction the guidelines dated 01.06.2011 regarding appointment of part-time non-official directors also be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the Candidates.**

EXTRACT OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (hereinafter referred to as "the Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") as well as Notification No. DBOD.BC. No. 46 & 47 / 29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007, No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and **Office Memorandum ref. No. F. No. 16/83/2013-BOI dated 03.09.2013** posted in the Bank's website www.corpbank.com. Such extracts will also be mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 09.08.2014.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible existing Shareholder Director who may contest the election.

Item No. : 2 EXPLANATORY STATEMENT

OBJECTIVE OF THE EMPLOYEES STOCK PURCHASE SCHEME (ESPS)

The Bank is in the business of banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The issued, subscribed and Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March, 2014 is ₹167.54 crore.

बैंक पिछले कई वर्षों से लगभग 20% औसत वृद्धि दर से वृद्धि कर रहा है। दीर्घावधि संसाधनों के ज़रिए कारोबार में विस्तार करने और सामान्य उधार प्रयोजनों के लिए निधियों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल (II व III) अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु और पूँजी वर्धक योजना और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक फा. सं. 11/13/2011-बीओए दिनांकित 12.06.2014 द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन के अनुसार बैंक ईएसपीएस के अंतर्गत शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है।

1. अब, बैंक, कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, 2014 में सूचित ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर या लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों सहित स्थाईकृत सेवा वाले बैंक के सभी स्थाई कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखता है:
 i) बैंक की वृद्धि एवं लाभप्रदता में योगदान देने में बेहतर निष्पदान के लिए प्रयास करने हेतु पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना;
 ii) बैंक की संवृद्धि में सतत सहयोग एवं योगदान के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रतिफल देना;
 iii) बैंक में स्वामित्व हित अर्जित करने हेतु पात्र कर्मचारियों को साधन उपलब्ध कराते हुए ईक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममात्रा में होंगे।

भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, बैंक द्वारा निष्पादित ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित करता है कि जब अतिरिक्त शेयरों के आबंटन द्वारा बैंक की पूँजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जाता है, तब ऐसे शेयर पहले बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु पेश किए जाएंगे जब तक कि शेयरधारक किसी विशेष संकल्प द्वारा महासभा में अन्यथा निर्णय न लें। चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर समानुपातिक आधार पर न आबंटित करने का प्रस्ताव है, अतः उपर्युक्त संकल्प को पारित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 35सी (i) के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों निहित सभी कर्मचारी हित योजनाएं सेबी (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजनाएं) दिशानिर्देश, 1999 और इस संबंध में सेबी द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगे।

अतः निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 2 में उल्लिखित विशेष संकल्प की आपके अनुमोदन के लिए संस्तुति करता है।

उक्त ईएसपीएस की स्थूल शर्तें निम्नलिखित होंगी

जारी किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

ईएसपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों की संख्या 50,00,000 तक है। लेकिन, यदि किसी कर्मचारी प्रवर्ग को ईएसपीएस के अनुसरण में पेश किए शेयरों को कोई हिस्सा अनभिदत्त रहता है तो उसे दूसरे प्रवर्ग या प्रवर्गों के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रस्तावित किए जाने वाले शेयरों की संख्या निदेशक मंडल द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार विभिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न होगी।

शेयर की कीमत

बैंक के कर्मचारियों को निदेशक मंडल द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार प्रत्येक ₹10/- के ईक्विटी शेयरों की, निर्गम-प्रारंभ की तारीख से पूर्व दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर कोट की गई ईक्विटी शेयरों की साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम अंतिम कीमत की औसत पर छूट सहित पेशकश करने का प्रस्ताव है, लेकिन ऐसी कीमत ₹250/- प्रति शेयर (छूट को छोडकर) से कम नहीं होगी।

ईएसपीएस हेतु कर्मचारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:

लागू विनियामक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अधीन ईएसपीएस निर्गम-प्रारंभ की तारीख को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों सहित बैंक के सभी स्थाईकृत कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

प्रकटन और लेखांकन नीतियाँ

बैंक, सेबी और किसी अन्य उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकटनों और लेखांकन नीतियों का अनुपालन करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक: 07.07.2014

The Bank is growing at an average growth rate of around 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board as also to comply with BASEL (II &III) requirements relating to capital adequacy and as per capital raiser plan and the in-principle approval of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India vide its letter No. F. No. 11/13/2011-BOA dated 12.06.2014, the Bank proposes to issue shares under ESPS.

1. Now, the Bank proposes to grant equity shares to all confirmed permanent employees of the Bank with confirmed service including Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank on such terms and conditions as stated under Corporation Bank Employees Stock Purchase Scheme, 2014, or as may be decided by the Board subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:
 i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;
 ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;
 iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Clause 23 of the Listing Agreement for Equity executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share other than on pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed.

Further as per Clause 35C(i) of the Listing Agreement for Equity, all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI (Employee Stock Options Schemes and Employee Stock Purchase Schemes) Guidelines, 1999 and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

The Board of Directors, therefore, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in Item No. 2 of the Notice.

The following would inter-alia be the broad terms and conditions of the ESPS

TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED

Up to 50,00,000 equity shares are proposed to be offered to the employees under the ESPS. However, the portion of shares offered, pursuant to the ESPS, to any category of employee, if remains unsubscribed, shall be made available to other category or categories of the employees. The number of shares, to be offered, will be different for different categories of employees, as may be decided by the Board.

PRICE OF THE SHARE

It is proposed to offer equity shares of ₹10/- each to the employees of the Bank at such discount, as may be decided by the Board, on the average of the weekly high and low of the closing prices of equity shares of the Bank quoted on NSE during the two weeks preceding the launch date, but at a price not less than ₹250/- per equity share (excluding discount).

THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEE FOR ESPS

All confirmed permanent employees of the Bank including Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank, as on the date of launch of ESPS, will be entitled to participate, subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

DISCLOSURE AND ACCOUNTING POLICIES

The Bank shall comply with the disclosures and accounting policies prescribed by the SEBI and any other appropriate regulatory authority.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place: Mangalore
Date: 07.07.2014

घोषणा

(विनियमों का विनियम 65 देखें)

मैं,_____सुपुत्र/सुपुत्री/

पत्नी श्री/श्रीमती _____, निवासी _____

फोलियो सं. _____ / डीपी आईडी सं. _____ /ग्राहक आईडी संख्या _____ के तहत यथा **29 जुलाई, 2014** को कार्पोरेशन बैंक के (पूर्णत: प्रदत्त) ₹10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा मुझे निम्नलिखित क्षेत्रों* में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है:

i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ii) बैंकिंग
iii) सहकारिता
iv) अर्थशास्त्र
v) वित्त
vi) विधि
vii) लघु उद्योग
viii) _____ के विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान का अन्य कोई मामला जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक हेतु उपयोगी होगा

अथवा बैंकिंग अधिनियम, 1980 (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9 की उप-धारा 3 के अनुसार मैं जमाकर्ताओं और/या कृषकों, कामगारों और कारीगारों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा/रही हूँ/इसके ऐ प्रमाण के रूप में मैं संबंधित साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत करता/करती हूँ और एतद्द्वारा घोषित करता/ करती हूँ कि

क) मैं _____ से _____ तक संख्यांकित नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ, और

ख) मैं कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु खड़ा/खड़ी होने का/की इच्छुक हूँ, और

ग) मुझे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है तथा

घ) मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक में न तो कोई पदधारक या लाभ के पद पर या कर्मचारी नहीं हूँ।

2. मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपयुक्त और उचित हैसियत हेतु विचारार्थ अलग से व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक: नाम

संलग्नक: यथोक्त

उपर्युक्त घोषणा श्री _____ द्वारा मेरे सम्मुख हस्ताक्षरित की गई।

मुहर सहित हस्ताक्षर तथा
अनुप्रमाणित करनेवाले अधिकारी का नाम

टिप्पणी: नामिती द्वारा यह घोषणा अनिवार्यत: किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के किसी अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

DECLARATION

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____

_____, a resident of _____ holding _____

equity shares of ₹10/- each (fully paid up) in CORPORATION BANK under Folio No. _____/DP ID No. _____/

Client ID No. _____ as on 29th July, 2014 and having special knowledge or practical experience in:*

i) Agriculture and Rural Economy
ii) Banking
iii) Co-operation
iv) Economics
v) Finance
vi) Law
vii) Small Scale Industry
viii) Any other matter the special knowledge of _____ and practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials) hereby declare that

a) I accept the nominations numbered from _____ to _____, and

b) I am willing to stand for the election as Director of Corporation Bank and

c) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and

d) I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under Sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Place: Signature

Date : Name

Encl: as above

The above declaration was signed before me by Shri /Smt. _____

Signature with Seal and
Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Delete whichever is not applicable.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलूर – 575 001

क्रमांक

नामांकन फार्म

(विनियमों का विनियम 65(घ) देखें)

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलूर – 575 001

प्रिय महोदय,

निदेशक का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांकित 07.07.2014 के संदर्भ में, 29 जुलाई, 2014 (जो मतदान के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट कट ऑफ तारीख है) ₹10/– प्रत्येक के (पूर्णत: प्रदत्त) _____ ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला कार्पोरेशन बैंक का एक शेयरधारक, मैं, _____ 25 अगस्त, 2014 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की असाधारण महासभा में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधानुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने हेतु एतद्द्वारा श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती _____ _____ निवासी _____ को नामांकित करता हूँ /करती हूँ ।

हस्ताक्षर
नाम
शेयरों की सं.
पंजी. फोलियो सं.
(यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपी.आईडी. सं.
ग्राहक आईडी. सं.
(यदि डीमेट किया गया हो)

स्थान :
दिनांक:

टिप्पणी:

1. यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ जिस बैठक में यह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रामाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए।
2. प्रतिनिधि को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलने चाहिए ।
3. यदि उपरोक्त कालमों में से कोई कालम खाली छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाए जाते हैं तो नामांकन निरस्त किया जा सकता है ।

CORPORATION BANK

Head Office: Mangalore – 575 001

Sl. No.

NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

To

The Chairman & Managing Director
Corporation Bank
Head Office, Mangalore – 575 001

Dear Sir,

Election of a Director

With reference to your Notice dated 07.07.2014, I _____ a shareholder of Corporation Bank, holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) as on 29th July, 2014 (being the cut-off Date considered for the purpose of voting) do hereby nominate Shri/Smt. _____ _____ son/daughter/wife of Sri/Smt. _____ residing at _____ _____ for being elected as a Director of Corporation Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders to be held on 25th August, 2014.

Signature

Name

No. of Shares

Regd. Folio No.

(If not Dematerialised)

DP. ID. No.

Client ID. No.

(If Dematerialised)

Place:
Date:

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलूर – 575 001

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फार्म)

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र		
शेयरधारक निदेशक पद हेतु उम्मीदवारी की समर्थक सूचना		
I.	**उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्योरे**	
1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम (पूरा नाम)	
3.	जन्मतिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	(1) स्थाई खाता संख्या (आयकर अधिनियम के तहत) (2) आयकर सर्कल/डिवीजन का नाम व पता जहां वैयक्तिक कर विवरणियां जमा की जा रही हैं ।	
6.	स्थाई पता	
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
8.	(1) ई–मेल – आईडी	
	(2) दूरभाष संख्या (लैंडलाइन)	
	(3) सेल फोन नंबर	
II.	**योग्यता एवं अनुभव**	
1.	योग्यता (शैक्षिक/एकेडेमिक) (कृपया सूचना से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	
2.	योग्यता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	

CORPORATION BANK

Head Office: Mangalore – 575 001

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking		
Information Supporting the Candidature for Shareholder Directorship		
I.	**Personal details of the Candidate**	
1.	Name in Full (in capital letters)	
2.	Father's Name (in Full)	
3.	Date of Birth	
4.	Nationality	
5.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
6.	Permanent Address	
7.	Present Address (For correspondence)	
8.	(1) E-mail ID	
	(2) Telephone Number (Landline)	
	(3) Cell Phone Number	
II.	**Qualification and Experience**	
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	

3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3-ए) के तहत यथा अपेक्षित)	
4.	अनुभव (कृपया बैंक ने निदेशक पद से संबंधित संगत अपने अनुभव का उल्लेख करें)	
5.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित संगत सूचना	
III.	**उम्मीदवार के संबंधियों के विवरण**	
1.	संबंधियों के विवरण, यदि कोई हैं, जो बैंक से किसी भी तरह से संबद्ध हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	
2.	कंपनियों की सूची, यदि कोई हैं, जिनमें उसे हितबद्ध माना जा रहा है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	
3.	यदि उम्मीदवार के नाम में धारित कार्पोरेशन बैंक के कोई शेयर हैं तो उनके विवरण : (कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, बही फोलियों संख्या/संस्थाएँ या ग्राहक डीपी आईडी का उल्लेख करें ।)	
4. (अ)	इकाइयों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के आशय के अंतर्गत महत्वपूर्ण हितधारक रूप में है ।	
4. (आ)	इकाइयों की सूची जिनमें उम्मीदवार से संबंधित पार्टियाँ बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के आशय के अंतर्गत महत्वपूर्ण हितधारक रूप में है।	
5.	पूर्व में धारित बैंक (बैंकों) के निदेशक मंडल में निदेशकत्व/सदस्यता (कृपया बैंक (बैंकों) का/के नाम, वे अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लेख करें जिनके तहत नियुक्त/नामांकन किया गया तथा ऐसी सदस्यता/निदेशकत्व धारण की अवधि) ।	

3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.	
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
III.	**Details of Relationships of the Candidate**	
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013).	
2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013).	
3.	Details of shares of the Corporation Bank held, if any, in the name of the candidate (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or client ID).	
4. (a)	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
4. (b)	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
5.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) held earlier (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	

6.	उपरोक्त 3, 4 (अ) एवं 5 में सूचीबद्ध संस्थानों से उम्मीदवार द्वारा वर्तमान में उपभोग की जा रही कोई निधि या गैर निधि-सुविधाएं ।	
7.	मामले, यदि कोई है, जहाँ उपरोक्त 3, 4(अ) 4(आ) तथा 5 में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाईयों ने चूक की है या पिछले समय में कार्पोरेशन बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में कोई चूक की है ।	
IV.	**व्यावसायिक उपलब्धियाँ**	
1.	व्यावसायिक उपलब्धियाँ (कृपया उपलब्धियों के विवरणों का उल्लेख करें जिनका बैंक के निदेशकत्व पर कोई प्रभाव हो सकता है)	
V.	**उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हैं**	
1.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य है या प्रारंभ की गई या दोष सिद्धि के परिणाम वाली अनुशासनिक कार्रवाई के विवरण, यदि कोई है या क्या उसे कभी भी कोई व्यवसाय प्रारंभ करने पर रोक लगाई गई है ।	
2.	आर्थिक विधियों तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु निदेशक तथा/या उपरोक्त III-2, 4(बी) तथा 5 में सूचीबद्ध किन्हीं इकाइयों के विरुद्ध विगत समय के लंबित या प्रारंभ किए गए या दोष सिद्धि के विवरण ।	
3.	उम्मीदवार के विरुद्ध विगत में लंबित या प्रारंभ किए गए या दोष सिद्धि के परिणाम वाला आपराधिक मुकदमा, यदि कोई हो ।	
4.	क्या उम्मीदवार/निदेशक में राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित कोई अयोग्यताएं हैं ?	

6.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.	
7.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Corporation Bank or any other bank.	
IV.	**Professional Achievements**	
1.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
V.	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
1.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry at any profession/occupation at any time.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III-2, 4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
4.	Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.	

5.	क्या उपरोक्त III-2, 4(बी) तथा 5 में उल्लिखित उम्मीदवार अथवा किन्हीं इकाइयों को सरकारी विभाग या एजेन्सी की सूचना पर किसी जाँच के अधीन रखा गया है ।	
6.	क्या उम्मीदवार को उत्पाद/सीमा शुल्क /आयकर/विदेश विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियमों/ विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो विवरण दें ।	
7.	क्या उम्मीदवार/निदेशक को किसी भी समय सेबी, आईआरडीए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एमसीए , फेमा आदि जैसे विनियामक से प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई है ? **(यद्यपि किसी उम्मीदवार को इस कालम में विनियामकों द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों को उल्लिखित करना आवश्यक नहीं है, जिनका बाद में पूर्णत: प्रत्यावर्तित किया गया/हटाया गया है, फिर भी, यदि ऐसा हटाया जाना किसी योग्यता के आधार पर न होकर परिसीमा या क्षेत्राधिकार न होने जैसे तकनीकी कारणों की वजह से है, तो उसका उल्लेख करना ज़रूरी हो सकता है। यदि विनियामक का आदेश अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है और अपील/अदालती कार्यवाही लंबित है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)**	
8.	क्या उम्मीदवार/निदेशक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान अथवा बैंक या कंपनियों आदि के निदेश अथवा अनुदेश पर कार्य करेगा ? यदि ऐसा है तो विवरण दें ।	
9.	क्या उम्मीदवार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई कारोबार किया है यदि हाँ, तो विवरण दें ।	
10.	मद I से V के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्णय लेने हेतु संगत समझी जाने वाली अन्य सूचना ।	

5.	Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government.	
6.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
7.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. **(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).**	
8.	In carrying out his/her duties, will the candidate/ director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc.? If so, give particulars.	
9.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars.	
10.	Any other explanation / information in regard to items I to V and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.	

वचन–पत्र

मैं,..... पुत्र

.....पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सही तथा पूर्ण है । मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होनेवाली ऐसी सभी घटनाओं की पूरी जानकारी यथाशीघ्र बैंक को प्रस्तुत करूँगा जो उपर्युक्त सूचना से संबंधित है।

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।

स्थान :

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक:

टिप्पणी: 1. जहाँ कहीं स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया क्रम के अनुसार तथा समुचित संदर्भ के साथ अनुबंधों के रूप में सूचना संलग्न करें ।

2. सभी पृष्ठों (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने चाहिए ।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ:

1. नामांकन समिति
 सदस्य के हस्ताक्षर
 स्थान :
 दिनांक :

2. नामांकन समिति
 सदस्य के हस्ताक्षर
 स्थान :
 दिनांक :

3. नामांकन समिति
 सदस्य के हस्ताक्षर
 स्थान :
 दिनांक :

Undertaking

I, son of confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :
Date : Signature of the Candidate
Enclosures :

Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

1. Signature of Nomination Committee Member
 Place :
 Date :

2. Signature of Nomination Committee Member
 Place :
 Date :

3. Signature of Nomination Committee Member
 Place :
 Date :

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर – 575 001

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई
(यदि डिमैट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं.
ग्राहक आईडी सं.
(यदि डिमैट किया गया हो)

फोर्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम, राज्य के जिले केका/के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमती को सोमवार, 25 अगस्त, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के दिन, 2014 को हस्ताक्षरित ।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

..... प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

..... प्रथम धारक/एक मात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ख. संयुक्तधारकों के मामले में यह सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी को कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **बुधवार, 20 अगस्त, 2014** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे का पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रितसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो ।

CORPORATION BANK

HEAD OFFICE : MANGALORE – 575 001

Regd. Folio No. CBE
(If not Dematerialised)
DPID No.
Client ID No.
(If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We,
Resident of in the district of
in the State of being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. resident of in the district of in the State ofor failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held at 10.00 a.m. on Monday 25th August, 2014, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2014.

Please affix fifteen paise revenue stamp

.....
Signature of the Proxy

.....
Signature of the first holder/sole holder

Name:

Address:

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of Wednesday 20th August, 2014**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर Head Office: Mangala Devi Temple Road, Mangalore-575001

असाधारण महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक: सोमवार, 25 अगस्त, 2014 समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर – 575 001	**Date : Monday, 25th August, 2014** **Time: 10.00 A. M.** **Place: Auditorium, Millennium Building** **Corporation Bank, Head Office, Mangalore-575001**

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

असाधारण महासभा दिनांक: सोमवार, 25 अगस्त 2014 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: MONDAY 25TH AUGUST 2014, Time:10.00 A.M.

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Representative present X_____

.....✂.....

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखें To be retained throughout the meeting)

असाधारण महासभा दिनांक: सोमवार, 25 अगस्त 2014 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: MONDAY 25TH AUGUST 2014, Time:10.00 A.M.

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Representative present X_____

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-सह-मतपत्र पास को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र और मतपत्र पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए और मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास को सौंपना चाहिए। फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-सह-मतपत्र पास की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry-cum-Ballot Paper Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass and Ballot Paper Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting and Ballot Paper Pass to be surrendered to get Ballot Paper at the time of poll. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry-cum-Ballot Paper Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

.....✂.....

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

मतपत्र पास BALLOT PAPER PASS

(मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काउंटरों पर सौंप दें To be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Papers)

असाधारण महासभा दिनांक: सोमवार, 25 अगस्त 2014 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: MONDAY 25TH AUGUST 2014, Time:10.00 A.M.

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Representative present X_____

पुनश्चः बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे। कृपया बैठक में संलग्न सूचना की अपनी प्रति साथ लाएं।

P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring a copy of the enclosed Notice for the Meeting.

इलेक्ट्रानिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर E-Voting Event Number)	यूज़र आईडी USER ID	पासवर्ड PASSWORD